कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

मानननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी नि-2463-PBR-16

घीसीबाई पति मांगीलाल, आयु–55 वर्ष
जाति गेहलोत, निवासी–ग्राम रानी बड़ोद, तहसील
पोलायकलॉ, जिला शाजापुर ------आवेदक

विरूद्ध

1– गुलाब पिता उमराव, आयु–35 वर्ष
2– राकेश पिता उमराव, आयु–32 वर्ष
जाति गेहलोत, निवासीगण–ग्राम रानी बड़ोद,
तहसील पोलायकलॉ, जिला शाजापुर
---अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 25-7-16 को प्रस्तुत
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील पोलायकलां जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 5/अ–13/15–16 में पारित आदेश दिनांक 23/06/2016 से असंतुष्ट होकर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी ।

चीमावाई / मुनाव

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 2463–अध्यक्ष / 2016 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.8.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील पोलायकलां जिला शाजापुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक अंतरिम रूप से रास्ता खोले जाने का मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र स्थल निरीक्षण उपरांत ही अस्वीकार किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	